25521

# उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974

भारत के सविंधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का तथा तदर्य समस्त अन्य समर्थकारी शाक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ -(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2.) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

**2. परिभाषायें-----** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में ---

(क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है, जो --

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था; या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनो नियमित रूप से नियुक्त किया गया था;

या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

**स्पष्टीकरण: --** "नियमित रूप से नियुक्ति" का तात्पर्य यथास्थित, पद या सेवा में भर्त्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

**(ख)** "मृत सरकारी सेवक" का तात्पर्य एसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय।

**(ग)** "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:

(1) पत्नी या पति,

(2) पुत्र,

(3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ।

**(घ)** "कार्यालय का प्रधान'' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

**3. नियमावली का लागू किया जाना** - यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिये गये हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी ।

**4. इस नियमावली का आध्यारोही प्रभाव** - इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेंशों से अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा ।

**5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती** - यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवा योजन प्रदान किया जाएगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति ---

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो ,

(दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो,और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता हैं; परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं की जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिए, जिससें मृत सरकारी सेवक मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

**5.(क ) - मई , 1973 मृत पुलिस पी० ए० सी० कार्मिकों के आश्रितों की भर्ती**- नियम 5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्राविन्शियल आर्म्डकान्सटेबुलरी के ऐसे बाईस कार्मिको के जिनकी मृत्यु मई 1973 में हुए उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, कुटूम्ब के सदस्य के मामले में उसी प्रकार लागू होगे जिस प्रकार वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।

**6. सेवायोजन के लिये आवेदन - पत्र की विषय वस्तु** -- इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन - पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलाषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी

सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन - पत्र में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी:--

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कर रहा था।

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ, यदि कोई हो।

**7. प्रकिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों** --- यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता के निश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसकी विधवा तथा आवश्यक सदस्यों के कल्याण के निमित उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

**8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता** --- **(1)** इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अट्ठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) चयन लिए के प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जाएगी, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्यक पद ते प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा और वह तब तक चलेगा, जब तक कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो जाय।

**9. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान** -- किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह साधान करेगा कि:-

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है,

**टिप्पणी** - संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम द्वारा पदच्यूत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेगें।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यो का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा की में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

**10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** -- राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपलब्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विषय आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझें।

# उत्तर प्रदेश सरकार

## 1

**विषय :-** उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 नियम 2 (क) में दी गयी परिभाषा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ० प्र० सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के नियम 2 (क) में, उत्तर प्रदेश से कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवाययोजित "सरकारी सेवक" की परिभाषा में, निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है ---

(1) जो ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या

(2) यद्यपि अस्थायी था, तथापि ऐसे सेवायोनजों में नियमित रुप से नियुक्ति किया गया था, या।

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्ति नहीं था, तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा कर चुका था।

1. उक्त नियमावली "नियमित रूप से नियुक्ति" उस नियुक्ति को माना गया है जो पद पर या सेवा में भर्ती के लिये अधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो। उक्त नियमावली के नियम 8

के उपनियम (2) में यह व्यवस्था की गयी है कि नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को चुयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से यथालिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा। मृत सरकारी सेवक के आश्रित की नियुक्ति के एक प्रकरण में यह प्रश्न उठा है कि क्या "उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974 "के अधीन सेवायोजित किसी आश्रित की नियुक्ति के प्रयोजन हेतु, मृत सरकारी सेवक को नियम 2 (क) (2) के अनुसार "नियमित रूप से नियुक्ति" माना जायेगा, जबकि नियम 2(क) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार केवल पद या सेवा में भर्ती के लिये अधिकारित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति को ही" नियमित रूप से नियुक्ति माना गया है।

2. इस विषय पर समुचित विचारोपरान्त मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि चूँकि प्रश्नगत नियमावली के नियम 8(2) में नियमावली के अधीन की जाने वाली नियुक्ति को सम्बन्धित पद पर भर्ती के लिये संगत सेवा नियमों से निर्धारित चयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धित अपेक्षाओं से मुक्त किया गया है, अत: उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन नियुक्ति सरकारी सेवक को नियम 2 (क) (2) के अन्तर्गत नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक माना जावेगा।

3. आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को उक्त स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।